न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ जे०एम०, जेवर गौतमबुद्धनगर
उपस्थितः नाज़िम अकबर (उ०प्र० न्यायिक सेवा)
J.O.CODE-UP3328
CNR-UPGB120001912016

सरकार बनाम वीरेन्द्र सिंह आदि

वाद सं0-444/2016
मु0 अ 0 सं0-270/2015
धारा-60/63 आबकारी अधिनियम
थाना-रबूपुरा, जिला- गौतमबुद्धनगर

निर्णय

दिनांक–09.12.2023

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्त **वीरेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह** उपस्थित होकर जरिये प्रार्थना पत्र स्वेच्छा से जुर्म इकबाल करने का कथन करते हुए प्रस्तुत वाद में कम से कम सजा देने की प्रार्थना की है।

अभियुक्त को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि उसको जुर्म इकबाल करने से उसे सजा हो सकती है, किन्तु अभियुक्त ने स्वेच्छा एवं बगैर किसी दबाव के अपना जुर्म स्वीकार किया है। अतः अभियुक्त संस्वीकृति के आधार पर उसे धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांक-09.12.2023

(नाज़िम अकबर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, जेवर
गौतमबुद्धनगर।

लंच बाद

दण्ड के प्रश्न पर दोषसिद्ध अभियुक्त **वीरेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह** को सुना गया। अभियुक्त का कथन है कि वह बहुत गरीब व्यक्ति है। वह अपने जुर्म को इकबाल करके इसको समाप्त करना चाहता है। वह पुनः ऐसी गलती नहीं करेगा। अतः प्रार्थना है कि जुर्म स्वीकृती के आधार पर कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित किया जाए।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-60/63 आबकारी अधि., थाना-**रबूपुरा,** जिला गौतमबुद्धनगर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त का कथन है कि वह बहुत गरीब व्यक्ति है तथा उसका कोई पैरोकार नहीं है। जुर्म इकबाल करके इसको समाप्त करना चाहता है। उक्त कारणों, अपराध व तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा-60/63 आबकारी अधि. के अपराध में दोषी पाये हुए उसके विरूद्ध निम्न दण्डादेश से दण्डित करना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्त **वीरेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह** को मु०अ०सं०-270/2015, धारा-60/63 आबकारी अधि. के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए। अभियुक्त की गरीबी, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति तथा प्रस्तुत वाद की लम्बिता को दृष्टिगत रखते हुए 60/63 आबकारी अधि. में अंकन 4000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न किये जाने की स्थिति में 08 दिन की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगेगा।

दिनांक-09.12.2023

(नाज़िम अकबर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, जेवर
गौतमबुद्धनगर।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक-09.12.2023

(नाज़िम अकबर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, जेवर
गौतमबुद्धनगर।

[Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in]

Digitally signed by Nazim Akbar
Date: 2023.12.09 16:30:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court